पत्रांकः– 14/ए0एफ0–18/2021

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग,

प्रेषक,

अरशद फिरोज,
सरकार के उप संचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
बी0आर0ए0 बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक......../......./2021

विषयः– हरे कृष्ण सिंह कॉलेज, हसनपुर (खोपी) वैशाली को स्नातक कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायो में स्नातक पास एवं प्रतिष्ठा स्तरो में सत्र 2021–24 एवं 2022–25 के लिए अस्थायी संबंधन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके विश्वविद्यालय के पत्रांक–B/864 दिनांक 26.05.2021 तथा पत्रांक– B/919 दिनांक 08.06.2021 के क्रम में निदेशानुसार कहना है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा–21 (2) (d) के अधीन एवं राज्यपाल सचिवालय से निर्गत परिनियम संख्या–1098 दिनांक 19.04.1986, पत्रांक 3196 दिनांक–14.12.2017 एवं पत्रांक–3074 दिनांक–25.10.2019 के अन्तर्गत राज्य सरकार ने हरे कृष्ण सिंह कॉलेज, हसनपुर (खोपी) वैशाली को स्नातक कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायो में पास एवं प्रतिष्ठा स्तरों के निम्न विषयों में सत्र 2021–24 एवं 2022–25 के लिए अस्थायी संबंधन के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की है।

क्र० सं०	संकाय	विषय
01	कला संकायः (पास एवं प्रतिष्ठा)	हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, ऊर्दू, राजनीति विज्ञान, इतिहास, मनोविज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, गृह विज्ञान एवं संगीत। (कुल 13 विषय)
02	विज्ञान संकाय (पास एवं प्रतिष्ठा)	भौतिकी, रसायनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, जन्तु विज्ञान एवं गणित। (कुल 05 विषय)
03	वाणिज्य संकाय (पास एवं प्रतिष्ठा)	एकाउन्टस, बिजनेस फाइनांस बिजनेस इनवॉरमेन्ट एवं कॉरपोरेट एडमिनिस्ट्रेशन (कुल 04 विषय)

निदेश दिया जाता है कि भविष्य में अगर महाविद्यालय परिनियमानुसार संबंधन के सभी मानकों/शर्त्तो को पूरा करता है तो परिनियम में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत स्थायी संबंधन से संबंधित अनुशंसा उपलब्ध करायी जाय।

आगामी अनुशंसा के पूर्व इस संबंध में मापदंड पूर्ण करने का निदेश संस्था को दें। साथ हीं, परिनियम में अंकित शर्त्तों/मानकों के पूरा नहीं किये जाने एवं अस्थायी संबंधन के अनुशंसा की स्थिति में इसके औचित्य पर प्रकाश डालें।

सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ह0/–
(अरशद फिरोज)
सरकार के उप संचिव।

ज्ञापांकः–14/ए0एफ0–18/2021 –1029

पटना, दिनांक 10/09/2021

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/उप सचिव, शिक्षा विभाग/निदेशक, (उच्च शिक्षा) शिक्षा विभाग/सचिव, हरे कृष्ण सिंह कॉलेज, हसनपुर (खोपी) वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

AFfilation letter 2021

(2) आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को निदेशित किया जाता है कि विभागीय वेबसाईट पर इसे अपलोड किया जाय।

सरकार के उप संचिव।

AFfilation letter 2021